संख्या-7/2015/ 322/33-3-2015-100(21)/2014

प्रेषक,

विमल चन्द्र श्रीवास्तव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-20/3580/33-3-2014-100(21)/2014 दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 द्वारा अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2014-15 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित 10000.00 लाख में से रू0 9992.64 लाख की धनराशि कतिपय शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी गयी है।उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के शर्त संख्या-6 एवं 8 को संशोधित करने का प्रस्ताव आपके पत्र संख्या-5/237/2015-5/52/2014 दिनांक 02 फरवरी, 2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के शर्त संख्या-6 एवं 8 को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

(6) प्रायोजना प्रस्ताव /आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन रू0 13.23 लाख प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अत: इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस0ओ0आर0 पर आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(8) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिलाधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इसे संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायेंगे।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विमल चन्द्र श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.